न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बाईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़ आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2024/1133/ जिला–अजमेर

1. शाहरूख पुत्र शफी मोहम्मद
2. फारूख पुत्र शफी मोहम्मद
3. मुन्नी बेगम पत्नि शफी मोहम्मद

समस्त जाति मुसलमान, निवासी कस्बा केकड़ी तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. सलीम पुत्र मुंशी, जाति मुसलमान, निवासी कस्बा बून्दी, तहसील व जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर।

———प्रत्यर्थीगण

3. इस्लाम पुत्र रमजानी
4. इकबाल पुत्र रमजानी
5. सलीम पुत्र रमजानी
6. मुन्नी पत्नि नन्हा
7. शहजाद पुत्र नन्हा
8. आमीन पुत्र नन्हा
9. शकीला पुत्री नन्हा
10. अकीला पुत्री नन्हा
11. रुकसाना पुत्री शफी
12. तमन्ना पुत्री शफी
13. रूबीना पुत्री शफी

समस्त जाति मुसलमान, निवासी कस्बा केकडी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

———तरतीबी प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश तहसीलदर, केकड़ी दिनांक 04–10–2024
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 05/2024

———

उपस्थित– 1. श्री दीपक पारीक, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री महेन्द्र सिंह खंगारोत, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांकः— 16—10—2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 819 पुराना 715 खसरा संख्या 1303 रकबा 0.43 हैक्टर वाके ग्राम केकड़ी जमाल पुत्र नानगा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खातेदार जमाल पुत्र नानगा अविवाहित नाऔलाद दिनांक 9.7.1990 को फौत हो गया। खातेदार जमाल पुत्र नानगा द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 13.3.1984 को पांच रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपनी चल व अचल सम्पत्ति बाबत एक प्रथम वसीयत अपने छोटे भाई रमजानी की पत्नि खातुन के हक मे निष्पादित कर दी थी। उक्त वसीयत के आधार पर शफी मोहम्मद पुत्र रमजानी ने एक राजस्व वाद संख्या 64/2016 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी "शफी मोहम्मद बनाम फारूख" न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकड़ी द्वारा दिनांक 22.3.2016 को अन्तरिम स्थगन आदेश जारी कर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए है। तत्पश्चात जमाल पुत्र नानगा द्वारा अपने जीवनकाल में दूसरी वसीयत दिनांक 1—4—1990 को प्रत्यर्थी संख्या 1 सलीम पुत्र मुंशी के हक में निष्पादित कर दी। उक्त वसीयत के आधार पर खाता संख्या नया 819 व पुराना 715 खसरा नम्बर 1303 रकबा 0.43 हैक्टर वाके ग्राम केकड़ी का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में खोलने हेतु तहसीलदार, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार, केकड़ी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 1—4—1990, शपथ पत्र एवं गवाहान द्वारा प्रस्तुत ब्यानों एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 135(2) भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 4—10—2024 से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या—1 द्वारा नानगा का जो सजरा प्रस्तुत किया गया, वह अपूर्ण सजरा है। विपक्षी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर सही सजरा प्रस्तुत नहीं किया एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी जमाल पुत्र नानगा के विधिक वारिसानों की जांच कराए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं अपनी आदेशिका दिनांक 21.8.2024 में पारिवारिक वारिसो/सदस्यो को नोटिस जारी किए जाने बावत आदेशिका में अंकन किया है, परन्तु जमाल पुत्र नानगा के पारिवारिक वारिसो/सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जबकि जमाल पुत्र नानगा के नाऔलाद फौत होने की स्थिति में उसके समस्त पारिवारिक वारिसो/सदस्यों को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वंय अपनी आदेशिका के विपरीत आवश्यक पक्षकारों को नोटिस जारी किए बिना एवं उन्हें साक्ष्य व सनुवाई का अवसर प्रदान किए बिना नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण मृतक खातेदार जमाल पुत्र नानगा के सगे भाई रमजानी के वारिसान है तथा विवादित आराजी से अपीलार्थीगण का सीधा हित निहित है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने अभिभाषक को जानकारी दी थी कि जमाल पुत्र नानगा की अन्तिम वसीयत अपीलार्थीगण की दादी/सास खातुन पत्नि रमजानी के पक्ष में निष्पादित की गई है। जिससे प्रार्थी अपीलार्थीगण विवादग्रस्त आराजी का मालिक स्वामी काबिज काश्तकार है। लेकिन अभिभाषक द्वारा उक्त तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। विवादित आराजियात के मूल खातेदार जमाल पुत्र नानगा द्वारा विवादग्रस्त आराजी बाबत अन्तिम वसीयत अपीलार्थीगण की दादी सास खातुन पत्नि रमजानी के पक्ष में निष्पादित की गई है, जिससे अपीलार्थीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी के मालिक स्वामी एवं खातेदार है और विवादग्रस्त आराजी बाबत नामान्तरकरण स्वयं के नाम तस्दीक करवाने का अधिकारी है। जमाल पुत्र नानगा ने अपनी अन्तिम वसीयत अपीलार्थीगण की दादी/सास खातुन पत्नि रमजानी के पक्ष में निष्पादित की है और यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित अन्तिम वसीयत प्रभावी होगी एवं अन्तिम वसीयत के आधार पर ही हक व अधिकार हस्तान्तरित होगें। उक्त सुस्थापित कानूनी प्रावधानो के तहत अपीलार्थीगण की दादी/सास खातुन पत्नि रमजानी जिसके हक में जमाल पुत्र नानगा द्वारा अन्तिम वसीयत निष्पादित की गई है। जिसके आधार पर अपीलार्थीगण विवादग्रस्त आराजी में अपना हक व अधिकार रखते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत गवाहो के आधार पर भी अपना निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाहो से अपीलार्थीगण को जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं जब तक प्रस्तुत गवाहों से जिरह नहीं हो जाती, तब तक उनके द्वारा प्रस्तुत गवाही साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है। वसीयत के गवाहो के द्वारा वसीयत पर किए गए हस्ताक्षर, अधीनस्य न्यायालय की आदेशिका पर किए गए हस्ताक्षर एवं बयानो पर किए गए हस्ताक्षर में भिन्नता है, समस्त हस्ताक्षर एक समान नही है, जिससे वसीयत के गवाहो एवं विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए गवाहों पर संदेह उत्पन्न होता है। अपीलार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी बाबत नियमित राजस्व वाद संख्या 64/2016 बउनवानी "शफी मोहम्मद बनाम फारुख" अन्तर्गत धारा 88

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

व 188 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 41/2016 बउनवानी "शफी मोहम्मद बनाम फारूख" मे दिनांक 22.3.2016 को अन्तरिम स्थगन पारित कर विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए है, जो वर्तमान में भी प्रभावी है। यह विधि का सुस्थापित प्रावधान है कि नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन रहते नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी स्थिति को एवं कानूनी प्रावधानो को नजरन्दाज कर अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो काबिल निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 4.9.2024 में आपत्ति आमंत्रण हेतु अखबार में साया हेतु पत्र जारी किए जाने की आदेशिका अंकित है एवं आदेशिका दिनांक 25.9.2024 में अंकित है कि प्रार्थी द्वारा समाचार पत्र हुक्मनामा मे अखबार साया दिनांक 5.9.2024 के अंक में कराया गया। अखबार साया राष्ट्रीय स्तर के अखबार में ही कराया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में समाचार पत्र हुक्मनामा से अखबार साया कराया जाना अंकित किया गया है, समाचार पत्र हुक्मनामा राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 25.9.2024 से सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 30.9.2024 अंकित की गई, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 30.9.2024 की कोई आदेशिका अंकित नही है, अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.9.2024 को सुनवाई किए बिना सीधे दिनांक 4.10.2024 को आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है, जिसमे उत्तराधिकार, वसीयत, दत्तक, वारिसान आदि जैसे जटिल प्रश्नों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है। जिसमे हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों के हक व अधिकारो का निर्धारण केवल नियमित राजस्व वाद के माध्यम से किया जा किया जा सकता है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2024 निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण की दादी/सास खातून पत्नी रमजानी के हक में जमाल पुत्र नानगा की अंतिम वसीयत होने से विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के हक में तस्दीक किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में वसीयत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी का स्थगन आदेश होने के बावजूद नामन्तरकरण खोला गया जिसकी अपील अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रथम वसीयत स्वीकार है तथा द्वितीय वसीयत के आधार पर की गई कार्यवाही को समाप्त किए जाने में प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार जमाल पुत्र नानगा द्वारा निष्पादित प्रथम वसीयत दिनांक 13–03–1984 ही सही है उसके आधार पर यदि अपीलार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा स्वीकार कर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीमाना शामिल मिसल किया जाता है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 819 पुराना 715 खसरा संख्या 1303 रकबा 0.43 हैक्टर वाके ग्राम केकड़ी जमाल पुत्र नानगा रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। खातेदार जमाल पुत्र नानगा अविवाहित नाऔलाद दिनांक 9.7.1990 को फौत हो गया। खातेदार जमाल पुत्र नानगा द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 13.3.1984 को पांच रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपनी चल व अचल सम्पत्ति बाबत एक प्रथम वसीयत अपने छोटे भाई रमजानी की पत्नि खातुन के हक मे निष्पादित कर दी थी। उसके बाद जमाल पुत्र नानगा ने दूसरी वसीयत दिनांक 1–04–1990 को सलीम पुत्र मुंशी प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तहसीलदार, केकड़ी के समक्ष उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार, केकड़ी ने वसीयत, शपथ पत्र एवं गवाहान के बयानों एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजियात का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में खोलकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये जबकि समस्त पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जमाल पुत्र नानगा द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की चल व अचल सम्पत्ति की दो वसीयत क्रमश 13–3–1984 एवं 1–4–1990 को निष्पादित की। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा खातून पत्नी रमजानी के पक्ष में निष्पादित प्रथम वसीयत को छिपाते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 1–4–1990 के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश पारित कर दिये जबकि प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष विचाराधीन था तथा उसमें स्थगन भी जारी किया हुआ था । नियमों में प्रावधान है कि नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन रहते नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, केकड़ी द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत नहीं है।

माननीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

यहां यह उल्लेखनीय है कि जमाल पुत्र नानगा द्वारा अपने जीवनकाल में दो वसीयते निष्पादित की है। प्रथम वसीयत खातून पत्नी रमजानी के हक में तथा दूसरी वसीयत सलीम पुत्र मुंशी के हक में निष्पादित की है। अपीलार्थीगण द्वारा खातून पत्नी रमजानी को अपनी दादी/सास होने का अंकन किया है। अपीलार्थीगण का खातून पत्नी रमजानी के हक में निष्पादित वसीयत में अंकित आराजियात पर अधिकार क्यों है अपीलार्थीगण का खातून पत्नी रमजानी का अपीलार्थीगण से क्या संबंध है जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2024 विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2024 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 05/2024 न्यायोचित एवं समुचित नहीं होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार केकड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मुस्लिम विधि अनुसार जमाल पुत्र नानगा द्वारा की गई दोनों वसीयतों की जांच कर विवादित आराजियात के मूल खातेदार जमाल पुत्र नानगा के सम्पूर्ण विधिक वारिसानों की जांच कर उनको विधिवत साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन कर अंतिम वसीयत को आधार मानते हुए नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16–10–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner